वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय
फॉरेस्ट केम्पस,काउली ब्राउन रोड, आर.एस.पुरम, कोयम्बत्तूर – 641002 (T.N)
PH: 0422-2484100, FAX: 2430549, www.ifgtb.icfre.gov.in

फाइल सं.सीटीआर-I/24-133/2022/व.आ.वृ.प्र.सं/भर्ती/ग्रूप.सी — दिनांक:14.10.2022

भर्ती सूचना

विज्ञापन सं.व.आ.वृ.प्र.सं/02/2022

"सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जो लिंग संतुलन को दर्शाता है और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है"

विस्तृत विज्ञापन

वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान के अंतर्गत नीचे दिये गए नियमित पदों की भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25.11.2022 (23.00 घंटे) होगी।

क्रम सं.	पदों का नाम	7 वें सीपीसी के पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर	पदों की संख्या	श्रेणी	शैक्षणिक अर्हता	25.11.2022 के अनुसार आयु सीमा
01	बहुकार्य कर्मी	स्तर – 1 मूल वेतन: 18,000/-	05	आ.क.व -1 अ.पि.व(एन.सी.एल)-3 अ.ज.जा-1	10वी पास प्रमाणपत्र	18-27 आ.क.व के लिए 18-30 अ.पि.व के लिए 18-32 अ.ज.जा के लिए
02	निम्न श्रेणी लिपिक	स्तर – 2 मूल वेतन: 19,900/-	03	अनारक्षित-1 अ.पि.व(एन.सी.एल)-1 अ.ज.जा-1	12वी कक्षा पास प्रमाणपत्र	18-27 अनारक्षित के लिए 18-30 अ.पि.व के लिए 18-32 अ.ज.जा के लिए
03	तकनीकी सहायक	स्तर – 5 मूल वेतन: 29,200/-	02	आ.क.व -1	बीएससी (वनस्पति विज्ञान)	21-30 आ.क.व के लिए
				अ.पि.व(एन.सी.एल)-1	बीएससी (कृषि)	21-33 अ.पि.व के लिए

उपरोक्त भर्ती में भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग व्यक्ति के लिए कोई पद विशेष रूप से आरक्षित नहीं है। वे अपने संबन्धित श्रेणी जैसे आ.क.व, अ.पि.व, अ.ज.जा या सामान्य श्रेणी (अनारक्षित) के तहत निर्दिष्ट पदों में आवेदन कर सकते है।

उपयोग किए गए संक्षिप्ताक्षर :

अनारक्षित (सामान्य श्रेणी) आ.क.व: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अ.पि.व (एन.सी.एल): अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) अ.ज.जा: अनुसूचित जनजाति

नोट:

1.अ.जा, अ.ज.जा, अ.पि.व, आ.क.व, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांजन श्रेणी के अभ्यर्थी, जो मानकों में छूट दिये बिना ही अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होते है, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्ति, जो भी उनके लिए लाभकारी हो, में सहयोजित किया जाएगा।

2. आरक्षित रिक्तियों को पात्र अ.ज.जा, अ.पि.व, आ.क.व अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा।

3. अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि अनारक्षित रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिये बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों कि संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुसंशित किया जा सकता हैं।

4. जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

5. दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह सेवा/पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हर प्रकार से उपयुक्त हो।

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की रिक्तियां अस्थायी है और भारत सरकार के अतिरिक्त निर्देशों और किसी भी मुकदमेबाज़ी के परिणाम के अधीन हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में नियुक्ति अनंतिम होगी और आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र के उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापन के अधीन है और यदि सत्यापन से पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबन्धित होने का दावा फर्जी/झूठा है, तो कोई कारण बताए बिना तथा फर्जी/झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कि जाने वाली अग्रिम कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। केवल निर्धारित प्रारूप में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबन्धित अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

7.अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी जिनकी जाति केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध नहीं है (जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट www.ncbc.nic.in) और जो अ.पि.व.- नॉन क्रीमी लेयर (एनसीएल) अभ्यर्थियों के लिए लागू प्रावधानों के अंतर्गत नहीं हैं, उकनों सभी उद्देश्यों के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, अ.पि.व अभ्यर्थी जो अ.पि.व.- नॉन क्रीमी लेयर से संबन्धित नहीं है, अपनी श्रेणी को 'सामान्य' के रूप में इंगित करेंगे।

1. **शैक्षणिक अर्हता:**

क्रम सं	**पदों का नाम और पदों की संख्या**	**शैक्षणिक अर्हता**
01	बहुकार्य कर्मी (05 पद)	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से 10वीं कक्षा पास प्रमाणपत्र वांछनीय: सम्बंधित विषय में 3 या उससे अधिक वर्ष का अनुभव
02	निम्न श्रेणी लिपिक (03 पद)	i)मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र ii)मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड या कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड ।
03	तकनीकी सहायक (क्षेत्र/प्रयोगशाला) (02 पद)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित क्षेत्र/विशेषज्ञता में बी.एस.सी डिग्री 1) वनस्पति विज्ञान (आ.क.व के लिए आरक्षित) 2) कृषि (अ.पि.व (एन.सी.एल) के लिए आरक्षित

उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 25.11.2022 को या उससे पहले वांछनीय आवश्यक योग्यता होनी चाहिए।

नोट:

1. उन सभी अभ्यर्थियों को, जिन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, कट ऑफ तारीख अथवा उससे पूर्व यथा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में 10वीं/मध्यवर्ती/उच्च माध्यमिक/10+2/डिग्री परीक्षा के सभी संगत मूल प्रमाण -पत्र जैसे- अंक तालिकाएं, अनंतिम प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल रहने पर संस्थान द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। वह अभ्यर्थी को जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते है कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तारीख अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा।

2. <u>यह पुन: बताया जाता है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का परिणाम बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण अंतिम तिथि के पहले परिणाम की महज प्रक्रिया शुरू होने से अनिवारी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।</u>
3. समकक्ष शैक्षिक योग्यता धरण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय संबन्धित प्राधिकारियों से प्राप्त संगत समकक्षता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

2.आयु:

संस्थान द्वारा आयु के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक प्रमाणपत्र और अभ्यर्थी द्वारा आनॅलाइन आवेदन पत्र में भरे गए जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन की अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

अ) बहुकार्य कर्मी

आयु सीमा: 25.11.2022 को 18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक न हो।

विभिन्न श्रेणियों में ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार है:

क्रम सं	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु सीमा में स्वीकार्य छूट
1	अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)	3 वर्ष
3	दिव्यांग (अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)	13 वर्ष
4	दिव्यांग (अनुसूचित जनजाति)	15 वर्ष
5	भूतपूर्व सैनिक	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
6	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुये रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
7	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुये रक्षा कार्मिक (अ.ज.जा)	08 वर्ष
8	क्रेंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी: जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष का नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
9	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी: जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष का नियमित व निरंतर सेवा की हो (अ.ज.जा)	45 वर्ष की आयु तक
10	विभागीय अभ्यर्थी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के कर्मचारी	05 वर्ष तक

आ. निम्न श्रेणी लिपिक

आयु सीमा: 25.11.2022 को 18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक न हो।

विभिन्न श्रेणियों में ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार है:

क्रम सं	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु सीमा में स्वीकार्य छूट
1	अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)	3 वर्ष
3	दिव्यांग (अनारक्षित)	10 वर्ष
4	दिव्यांग (अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)	13 वर्ष
5	दिव्यांग (अनुसूचित जनजाति)	15 वर्ष
6	भूतपूर्व सैनिक	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
7	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुये रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
8	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुये रक्षा कार्मिक (अ.ज.जा)	08 वर्ष
9	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी: जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष का नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
10	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी: जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष का नियमित व निरंतर सेवा की हो (अ.ज.जा)	45 वर्ष की आयु तक
11	विभागीय अभ्यर्थी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के कर्मचारी	05 वर्ष तक

इ. तकनीकी सहायक

आयु सीमा: 25.11.2022 को 21 वर्ष से कम या 30 वर्ष से अधिक न हो।

विभिन्न श्रेणियों में ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार है:

क्रम सं	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु सीमा में स्वीकार्य छूट
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)	3 वर्ष
2	दिव्यांग (अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)	13 वर्ष
3	भूतपूर्व सैनिक	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
4	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुये रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
5	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुये रक्षा कार्मिक (अ.ज.जा)	08 वर्ष
6	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी: जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष का नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
7	विभागीय अभ्यर्थी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के कर्मचारी	05 वर्ष तक

नोट:

1. निम्न श्रेणी लिपिक पद के लिए अनारक्षित श्रेणी में आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आयु में छूट लागू नहीं है। यदि वे अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करते है तो शुल्क रियायत का दावा कर सकते है।

2. भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी का उललेख भूतपूर्व सैनिकों के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

3.शुल्क (अप्रतिदेय):

बहुकार्य कर्मी

क्रम सं	अभ्यर्थी की श्रेणी	परीक्षा शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क	कुल शुल्क
1	आ.क.व /अ.पि.व (एनसीएल)	रू.250	रू.250	रू.500
2	महिला/अ.ज.जा/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक	शून्य	रू.250	रू.250

निम्न श्रेणी लिपिक

क्रम सं	अभ्यर्थी की श्रेणी	परीक्षा शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क	कुल शुल्क
1	अनारक्षित /अ.पि.व (एनसीएल)	रू.500	रू.500	रू.1000
2	महिला/अ.जा/अ.ज.जा/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक	शून्य	रू.500	रू.500

तकनीकी सहायक

क्रम सं	अभ्यर्थी की श्रेणी	परीक्षा शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क	कुल शुल्क
1	आ.क.व /अ.पि.व (एनसीएल)	रू.750	रू.750	रू.1500
2	महिला/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक	शून्य	रू.750	रू.750

नोट: एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए इसे समायोजित किया जाएगा।

4.प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

1.जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक है, जब कौशल परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन के समय वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान के द्वारा इन प्रमाणपत्रों की मांग की जाए, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/आकव/विकलांग/भूपूसै श्रेणी के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थता/आवेदन को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इसके साथ संलग्न हैं।

2. दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम , 1995 (1996 का 1) के अधीन जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा।

3.किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4.अजा/अजजा/अपिव/आकव/दि.जन/भूपूसै स्थिति या किसी अन्य लाभ नामत: शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25.11.2022 होगी।

5.अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाणपत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को कृमि लेयर में नहीं आता/आती है। अन्य कोई प्रमाणपत्र जैसे बीसी, एमबीसी आदि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6.अभ्यर्थी उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि अनकी अभ्यर्थता तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा संबन्धित दस्तावेज़ कि यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती है।

7.अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/आकव/विकलांग/भूपूसै दर्जे का दावा करते है तो संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

5. सामान्य निर्देश

1. केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र है।

2. ऑनलाइन आवेदन केवल वेबसाइट https://ifgtb.icfre.gov.in पर किया जा सकता है। विस्तृत निर्देश इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को कोई भी प्रविष्टि करने या विकल्प चुनने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉम भरते समय सभी आवश्यक विवरण देने चाहिए। अनिवारी क्षेत्र को * (तारांकन) चिन्ह से चिन्हित किया गया है।

3.आवेदन केवल वेबसाइट https://ifgtb.icfre.gov.in के माध्यम से **17.10.2022** से **25.11.2022** तक ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। किसी अन्य माध्यम से जमा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. अभ्यर्थी जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते है, उन्हें समान उपयोगकर्ता परिचय पत्र का उपयोग करके प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। अलग से पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

5. किसी भी स्तर पर कोई सूचना असत्य या गलत पाये जाने या संबन्धित विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करने की स्थिति में, उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/ समाप्त कर दी जाएगी।

6. अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और परीक्षा की तारीख से पहले अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए जा सकते है। कृपया अपडेट के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखें।

8. अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी।

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन/महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। **हालांकि, उन्हें प्रत्येक पद के लिए लागू प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा।**

10. सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अ.पि.व. श्रेणियों के अभ्यर्थियों द्वारा अप्रतिदेय परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। यह शुल्क केवल ऑनलाइन जमा करना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान का कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं है।

11. पद अस्थायी प्रकृति के है लेकिन आगे भी जारी रहने की संभावना है। नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी है अर्थात इन सभी पदों पर अखिल भारतीय सेवा दायित्व है।

12. निदेशक, व.आ.वृ.प्र.सं, कोयम्बत्तूर के पास बिना कोई कारण बताये पदों की संख्या बढाने या कम करने किसी या सभी विज्ञापित पदों को भरने अथवा न भरने का अधिकार सुरक्षित है।

13. ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिये गए विवरण के आधार पर, विशिष्ट श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों के लिए सिस्टम द्वारा श्रेणियों अर्थात, अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. पूर्व सैनिक और दिव्यांगजन के लिए आयु में छूट स्वचालित रूप से प्रदान की जाती है। भारत सरकार के मानदंड के अनुसार, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट, अ.पि.व. (गैर क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट और होगी। आयु गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि आवेदन प्रपट करने की अंतिम तिथि होगी।

14. निम्न श्रेणी लिपिक पद पर अनारक्षित/सामान्य श्रेणी में आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आयु में छूट लागू नहीं है।

15. उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को अपने नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त **अनापत्ति प्रमाणपत्र** अपलोड करना चाहिए।

16. एक बार अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में जमा किए गए किसी भी डेटा में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। **अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद किसी भी स्कैन किए गए दस्तावेज़ को ई-मेल या किसी अन्य मोड के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

17. किसी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा और/या कौशल परीक्षण के लिए बुलाये जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी अभ्यर्थता को व.आ.वृ.प्र.सं द्वारा अंतिम रूप से मंजूरी दे दी गई है। अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि लिखित परीक्षा और/या कौशल परीक्षण से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर उसकी अपात्रता का पता चलता है या विज्ञापन में दिये गए नियम और निर्देशों में निर्धारित शर्तों या किसी भी स्तर पर मांगी गई कोई भी अतिरिक्त जानकारी / दस्तावेजों का निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस कारण से उम्मीदवारी रद्द करने के लिए व.आ.वृ.प्र.सं जिम्मेदार नहीं होगा।

18. यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आयु में छूट का लाभ नहीं उठाते है तो आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुशुचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से संबन्धित अभ्यर्थी भी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्तियों पर विचार किए जाने के पत्र होंगे। यदि आयु में छूट का लाभ उठाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी केवल आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचार के पत्र होंगे।

19. तकनीकी सहायक के लिए योग्यता कटऑफ अंक आ.क.व के लिए 50% और अ.पि.व के लिए 40% होगा। दिव्यांजन अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट लागू है।

20. विज्ञापित पदों के लिए कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्रपट अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। टाई के मामले में, मेरिट सूची को अंतिम रूप देने के लिए सामान्य नियमों का पालन किया जाएगा।

21. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक से कमजोर वर्ग/ दिव्यांजन के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट के लाभों की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियम/नोटिस में निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार है।

22. यदि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति (आ.जा)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा)/अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांजन के संबंध में अभ्यर्थियों का दावा गलत पाया जाता है, तो व.आ.वृ.प्र.सं द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जा सकते है और उनकी अभ्यर्थता रद्द मानी जाएगी।

23. अभ्यर्थी के नाम या पिता के नाम में किसी भी विसंगति (वर्तनी या उपनाम आदि) के संबंध में, दस्तावेज़ प्रस्तुत करते समय उसे विसंगति का उललेखा करते हुये मूल शपथ पत्र तथा सही नाम प्रमाणित करने वाले अन्य सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

24. अभ्यर्थी को अच्छे मानसिक और शारीरिक अवस्था में होना चाहिए और किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कि एक सरकारी कर्मचारी से रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यदि आवश्यकता हो तो व.आ.वृ.प्र.सं चिकित्सा परीक्षण निर्देशित कर सकता है।

25. कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:-

अ) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है या

आ) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है।

बशर्ते कि व.आ.वृ.प्र.सं/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत स्वीकार्य है और किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट के लिए अन्य आधार है।

26. परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी कि पात्रता या अन्य किसी संबंध में निदेशक, व.आ.वृ.प्र.सं का निर्णय अंतिम होगा।

27. आवेदक के द्वारा किसी भी रूप में प्रचार करने पर विचार नहीं किया जायेगा और उसकी अभ्यर्थता को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

28. अभ्यर्थी की ओर से किसी भी तरह से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्रपट करने का कोई भी प्रयास उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

29. ऐसे अभ्यर्थी को, जो कि संस्थान द्वारा प्रतिरूपण या जाली दस्तावेज़ जमा करने या ऐसे दस्तावेज़ जिनमें बदलाव किया गया है या गलत या असत्य बयान देने या जानकारी को दबाने या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेने या परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों या दुर्व्यवहार या

कदाचार का उपयोग करने या उपयोग करने का प्रयास करने का दोषी पाया या घोषित किया गया है, स्वयं को आपराधिक मुकदमे के लिए उत्तरदायी बनाने एवं संबन्धित परीक्षा से अयोग्य घोषित किए जाने के अतिरिक्त:

अ) संस्थान द्वारा किसी भी परीक्षा में प्रवेश और संस्थान के अधीन रोजगार से स्थायी रूप से या एक निर्धारित अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

आ) यदि वह पहले से ही भारत सरकार के तहत सेवा में है तो वह उपयुक्त नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

30. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते है। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा, बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हो। यदि सत्यापन पर परीक्षा से पहले या बाद में किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करते है तो परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

31. कानूनी विवाद, यदि कोई है, तो उसका निष्पादन तमिलनाडु सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन ही होंगे।

6.परीक्षा की योजना

1. सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा केवल कोयंबत्तूर (तमिलनाडु) में ही आयोजित की जाएगी।

2. लिखित परीक्षा में केवल ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के, बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) होंगे। गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक दिये जाएंगे।

3. प्रश्नों का स्तर संबन्धित शैक्षिक योग्यता के मानक में होगा।

4. निम्न श्रेणी लिपिक पद के लिए कौशल परीक्षा/टंकण परीक्षा, जो अर्हक प्रकृति की है, आयोजित की जाएगी। न्यूनतम योग्यता मानदंड संस्थान द्वारा तय किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेरिट सूची होगी।

5. विज्ञप्ति में उल्लिखित परीक्षा की तिथियां अनंतिम हैं। परीक्षा के कार्यक्रम में किसी बदलाव के बारे में, अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा।

6. प्राप्तांकों के पुनर्मूल्यांकन/पुन: जांच किए जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। इस संबंध में किसी पत्राचार का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

7. <u>अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रालिपिक की सहायता:</u> दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित -दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में न्यूनतम मानदंड दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रालिपिक की सुविधा प्रदान की जाती हैं।

1. बहुकार्य कर्मी

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या/ अधिकतम अंक	समय अवधि (सभी चार भागों के लिए)
I	सामान्य अंग्रेजी	25/25	90 मिनट
II	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	25/25	(प्रलिपिकों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट)
III	संख्यात्मक अभिरुचि	25/25	
IV	सामान्य जानकारी	25/25	

नोट: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिये जाएंगे।

2. निम्न श्रेणी लिपिक

टाइर – I (लिखित परीक्षा)

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या/ अधिकतम अंक	समय अवधि (सभी चार भागों के लिए)
I	अंग्रेजी भाषा (मौलिक ज्ञान)	25/50	60 मिनट
II	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	25/50	(प्रलिपिकों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 80 मिनट)
III	मात्रात्मक अभिरुचि (मूल अंकगणित कौशल)	25/50	
IV	सामान्य जानकारी	25/50	

नोट: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिये जाएंगे।

टाइर – II (नि.श्रे.लि के लिए कौशल परीक्षा/टंकण परीक्षा)

1. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए कौशल परीक्षा/टंकण परीक्षा व.आ.वृ.प्र.सं, कोयंबत्तूर द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटरों पर आयोजित किया जाएगा।

2. मेरिट के आधार पर 1:10 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची कौशल परीक्षा की दिनांक/समय के साथ संस्थान की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

3. कौशल परीक्षा के लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए जारी किया गया वही प्रवेश पत्र लाना होगा।

4. कौशल परीक्षा अर्हक प्रकृति का होगा। कौशल परीक्षा में त्रुटियों की गणना दशमलव के 2 स्थानों तक की जाएगी।

5. टंकण परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। उम्मीदवार टंकण परीक्षा में हिंदी या अंग्रेजी के माध्यम का विकल्प चुन सकते हैं।

6. 10 मिनट में दिए गए टेक्स्ट पैसेज को कंप्यूटर पर टंकण की सटीकता के आधार पर गति का निर्धारण किया जाएगा।

7. प्रालिपिक के लिए पात्र उम्मीदवारों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसलिए, ऐसे उम्मीदवारों के लिए टंकण परीक्षा की अवधि 15 मिनट होगी।

3. तकनीकी सहायक

वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे जिनमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न विषयों से कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रासंगिक विषय (वनस्पति विज्ञान और कृषि) के प्रश्न स्नातक स्तर के अनुसार होंगे। परीक्षा की अवधि 03 घंटे होगी। प्रत्येक विषय का विवरण और बहुवैकल्पिक प्रश्नों की संख्या इस प्रकार है:

क्रम सं	विषय का नाम	प्रश्नों की संख्या
01	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	20
02	अंग्रेजी एवं सामान्य विज्ञान	20
03	अंकगणित	20
04	प्रासंगिक विषय	40
	कुल	100

नोट:

1. **प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा।**

2. **उपरोक्त परीक्षा के लिए अर्हक कट-ऑफ अंक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुल अंक में 50% और अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के लिए 40% होगा।**

8. परीक्षा में प्रवेश

1.उन सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रवेश पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते है और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाये जाते है और संस्थान द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम रुप से स्वीकार किए जाते है।

2.संस्थान परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों को विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थता केवल अनंतिम रूप से ही स्वीकार की जाएगी।

3.अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद(पदों) के लिए पात्र है। दस्तावेज़ सत्यापन के समय समर्थनकरी दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी।

4.दस्तावेजों की जांच के दौरान यदि आवेदन प्रपत्र में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है तो, अभ्यर्थता रद्ध कर दी जाए जीआई और संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

5.प्रवेश पत्र पोस्ट द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। **इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से व.आ.वृ.प्र.सं की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।**

6.परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से पहले संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण के साथ संस्थान से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

7.अभ्यर्थी को संस्थान के साथ कोई भी पत्राचार कराते समय अपना आवेदन संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और अपने नाम के साथ-साथ आपण मोबइल नंबर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए।

8.परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

9.प्रवेश-पत्र के अलावा, कम से कम एक पासपोर्ट आकार के हाल ही की रंगीन फोटो, **मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य, जिसमें वही जन्म तिथि अंकित हो जो प्रवेश-पत्र में छपी है**, लाना अनिवार्य है, जैसे:

आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड का प्रिंटआउट,
मतदाता पहचान-पत्र,
ड्राइविंग लाइसेंस,
पैन कार्ड,
पासपोर्ट,
विश्वविद्यालय/ कॉलेज / स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र,
नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका
केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो-प्रमाणपत्र

10. यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्म तिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज़ (जैसे सीबीएससी/आईसीएससी/राजी बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाणपत्र, अंक-पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाये गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाणपत्र मेल नहीं खाते है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोगा करेंगे, उन्हें यथा-यल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-पत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की फोटोकॉपी भी साथ लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12.अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज़ भी ल सकता है।

13.धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिये जाएंगे।

14. परीक्षा में सफलता तब तक नियुक्ति का अधिकार प्रदान अनहिम करती जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाता है जिसे आवश्यक समझा जा सकता है कि उम्मीदवार पास पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

9. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा:

ऐसे मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी बराबर समग्र अंक प्राप्त कराते है, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

- लिखित परीक्षा में कुल अंक
- जन्मतिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाती है
- वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम है

10.अखिल भारतीय सेवा दायित्व (एआईएसएल)

नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवार भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी है।

11.निदेशक, व.आ.वृ.प्र.सं का निर्णय अंतिम

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, मेरिट सूची की तैयारी, कदाचार में संलिप्त होने पर वारित करने से संबन्धित सभी मामलों में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगी।

"भर्ती की प्रक्रिया के दौरान, अधिसूचना से चयन प्रक्रिया के पूरा होने तक, चयन विवरण/ब्यौरा पर कोई जानकारी/स्पष्टीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम/जीआरसी के तहत प्राप्त याचिकाओं सहित किसी भी याचिका/अभ्यावेदन को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के समापन के बाद, उपरोक्त भर्ती के संबंध में पूरा विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा"।

"अनुवाद अस्पष्टता के मामले में, यदि कोई हो, अभ्यर्थियों को अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लेना चाहिए"।

Kvk 14/10/2022

निदेशक
व.आ.वृ.प्र.सं, कोयंबत्तूर